JALAUN POLICE

दिनांक – 20.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमे में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्त रामशंकर पुत्र खूबे उर्फ खूबचन्द्र कुशवाहा नि0 ग्राम अकबरपुर इटौरा थाना आटा जनपद जालौन द्वारा वादी के पिता श्री सन्तराम कुशवाहा के सोते समय जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से चेहरे पर वार कर घायल कर देना। जिसके सम्बन्ध में वादी भूप सिंह पुत्र सन्तराम कुशवाहा नि0 ग्राम अकबरपुर इटौरा थाना आटा जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर थाना आटा में दिनांक 12.08.2019 को मु0अ0सं0 123/2019(वाद सं0 126/2019) धारा 307 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर दिनांक 22.11.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.06.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।